आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित **खंड 2** वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2011-2012 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्‌गृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान "वेतन" से भिन्न ऐसी आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए है और उन दरों को भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करता है ।

निर्धारण वर्ष 2011-2012 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 1, आय-कर की वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2011-2012 के लिए कर के दायित्वाधीन है । ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2010 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थीं ।

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 2, वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है । वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए दरें वही हैं, जो वित्त अधिनियम, 2010 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, यथाविनिर्दिष्ट हैं । तथापि, नई धारा 194ठख के अंतःस्थापन की दृष्टि से, किसी अनिवासी को कतिपय ब्याज के संदायों के मामले में पांच प्रतिशत की दर से कर कटौती की विशेष दर लागू होगी ।

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में, देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, दो प्रतिशत की दर से, अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। किसी अन्य दशा में, कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए वे दरें, जिन पर "वेतन" शीर्ष के अधीन स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और वे दरें भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करता है ।

इस भाग के पैरा क में आय-कर की दरें निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई हैं,—

(i) प्रत्येक व्यष्टि, [उनसे भिन्न जो उपपैरा (ii), उपपैरा (iii) और उपपैरा (iv) में विनिर्दिष्टतः उल्लिखित हैं] या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है :—

1,80,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**
1,80,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष से कम आयु की है :—

1,90,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**
1,90,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है :—

2,50,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iv) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है :—

5,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा ।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । ऐसी दशाओं में, कर की दरें वही रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2011-2012 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं । कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा ।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करता है । ऐसी दशाओं में, कर की दर वही रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2011-2012 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा ।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करता है । ऐसी दशाओं में, कर की दर वही रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2011 -2012 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा ।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । देशी कंपनियों और देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों, दोनों प्रकार की कंपनियों की दशा में, कर की दर वही रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2011-2012 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है ।

ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिभार की साढ़े सात प्रतिशत की विद्यमान दर को कम करके पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है । देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में, अधिभार की विद्यमान दर को ढाई प्रतिशत से कम करके दो प्रतिशत करने का प्रस्ताव है । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

सभी अन्य मामलों में (जिनके अंतर्गत धारा 115जख, धारा 115ण, 115द, आदि भी हैं), अधिभार अब पांच प्रतिशत की दर से लागू होगा ।

पहली अनुसूची के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में "शिक्षा उपकर" दो प्रतिशत की दर से और "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" एक प्रतिशत की दर से उद्‌गृहीत किया जाता रहेगा । पहली अनुसूची के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत कर पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर का उद्‌ग्रहण नहीं

किया जाएगा । दोनों उपकर, वेतन भुगतानों की दशा में स्रोत पर कटौती किए गए कर के संबंध में लागू बने रहेंगे । ये भारत में अनिवासी व्यक्तियों और देशी कंपनी से भिन्न कंपनियों के मामले में भी उद्‌गृहीत किए जाते रहेंगे ।

विधेयक का **खंड 3** आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (15) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में "पूर्त प्रयोजन" को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत गरीबों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, पर्यावरण संरक्षण (जिसके अंतर्गत जलाशय, वन और वन्यजीव भी हैं) और कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारक या स्थान का संरक्षण और किसी अन्य सामान्य लोक उपयोगी उद्देश्य को अग्रसर करना भी है ।

पूर्वोक्त खंड (15) के पहले परंतुक में यह उपबंधित है कि किसी अन्य सामान्य लोक उपयोगी उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप करना अंतर्वलित है, भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण की प्रकृति कोई भी हो ।

उक्त खंड के दूसरे परंतुक में यह उपबंधित है कि पहला परंतुक तब लागू नहीं होगा, यदि उसमें निर्दिष्ट क्रियाकलापों से प्राप्तियों का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष में दस लाख रुपए या उससे कम है ।

उक्त दूसरे परंतुक का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि पहला परंतुक तब लागू नहीं होगा, यदि पहले परंतुक में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से प्राप्तियों का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष में पच्चीस लाख रुपए या उससे कम है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 4** आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो ऐसी आय से संबंधित है, जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (34) का स्पष्टीकरण, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित उसकी धारा 27 द्वारा उपांतरण के रूप में अंतःस्थापित किया गया था ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (34) के स्पष्टीकरण के विद्यमान उपबंध यह स्पष्ट करते हैं कि धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों को ऐसे निर्धारिती की, जो विकासकर्ता या उद्यमी है, कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

इस खंड का उपखंड (क), पूर्वोक्त धारा के खंड (34) के स्पष्टीकरण का लोप करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई परिलब्धियां या भत्ते, जब तक अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्रदान न की गई हो, "वेतन" शीर्ष के अधीन कराधेय हैं ।

उपखंड (ख) उक्त धारा में एक नया खंड (45) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सेवानिवृत्त अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य को संदत्त ऐसे किसी भत्ते या परिलब्धि को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित की जाए, छूट प्रदान की जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

धारा 10 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि उक्त धारा के खंडों में से किसी भी खंड में वर्णित आय किसी व्यक्ति की पूर्ववर्ष की आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

उपखंड (ग) उक्त धारा में एक नया खंड (46) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) को, जो जनसाधारण के फायदे के लिए किसी क्रियाकलाप का विनियमन या प्रशासन करने के उद्देश्य से किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किया गया है या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है, प्रोद्‌भूत होने वाली किसी विनिर्दिष्ट आय को छूट प्रदान की जाएगी यदि वह वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगा है और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है । प्रस्तावित स्पष्टीकरण केंद्रीय सरकार को निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग की ऐसी आय की प्रकृति और सीमा अधिसूचित करने में समर्थ बनाता है, जो विनिर्दिष्ट आय होगी ।

उपखंड (ग) धारा 10 में एक नया खंड (47) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को किसी अवसंरचना ऋण निधि, जो ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, गठित की गई है, अधिसूचित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके और ऐसी अधिसूचित निधि की आय, आय-कर से छूट प्राप्त होगी ।

ये संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 5** आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2कक) के खंड (क) के विद्यमान उपबंध किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को संदत्त किसी राशि के एक सही तीन बटा चार की सीमा तक भारित कटौती के लिए उपबंध करते हैं ।

उक्त खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे भारित कटौती को बढ़ाकर संदत्त राशि का दुगुना किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 6** आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) के विद्यमान उपबंध कटौती का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबारों के प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख के लिए उपबंध करते हैं । इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त धारा की उपधारा (8) के खंड (ग) के विद्यमान उपबंध "विनिर्दिष्ट कारबार" पद को परिभाषित करते हैं ।

पूर्वोक्त धारा में प्रस्तावित संशोधन दो नए कारबारों को उनके प्रारंभ की तारीखों सहित "विनिर्दिष्ट कारबार" के रूप में सम्मिलित करने के लिए और नए होटल और नए अस्पताल की बाबत "विनिर्दिष्ट कारबार" की विद्यमान परिभाषा में से "नए" शब्द का लोप करने के लिए भी हैं ।

इस खंड का उपखंड (क) उक्त उपधारा (5) में एक नया खंड (कघ) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई कारबार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त

अधिसूचित किसी वहनीय आवास स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना के विकास और निर्माण की प्रकृति का है, वहां प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2011 या उसके पश्चात् की होगी ।

इसके अतिरिक्त, यह उक्त उपधारा (5) में एक नया खंड (कङ) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि उर्वरक के उत्पादन के लिए किसी नए संयंत्र में या किसी विद्यमान संयंत्र में नई अधिष्ठापित क्षमता में प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2011 या उसके पश्चात् की होगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

इस खंड का उपखंड (ख) "विनिर्दिष्ट कारबार" की परिभाषा से उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (iv) और उपखंड (v) में "नए होटल" और "नए अस्पताल" पदों से "नए" शब्द का लोप करने के लिए है ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

इसके अतिरिक्त, उपखंड (ख) पूर्वोक्त उपधारा (8) के खंड (ग) में एक नया उपखंड (vii) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे "विनिर्दिष्ट कारबार" की परिधि के भीतर, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित की गई वहनीय आवास स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना के विकास और निर्माण के कारबार को सम्मिलित किया जा सके ।

यह पूर्वोक्त उपधारा (8) के उक्त खंड (ग) में एक नया उपखंड (viii) अंतःस्थापित करने के लिए भी है जिससे भारत में उर्वरक के उत्पादन को "विनिर्दिष्ट कारबार" के रूप में सम्मिलित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 7** आय-कर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है जो अन्य कटौतियों से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय की संगणना में कतिपय कटौती अनुज्ञात करने के लिए उपबंध करते हैं ।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (ivक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में अपने किसी कर्मचारी की बाबत धारा 80गगघ में यथानिर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम मद्दे अभिदाय के रूप में संदत्त कोई रकम, उस सीमा तक जहां तक वह पूर्ववर्ष में कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 8** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगङ का संशोधन करने के लिए है जो धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा 80गगङ के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की कुल रकम, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

पूर्वोक्त धारा 80गगङ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा धारा 80गगघ की उपधारा (2) के अधीन किसी पेंशन स्कीम में किया गया अभिदाय धारा 80गगङ के अधीन उपबंधित एक लाख रुपए की कटौती की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 9** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगच का संशोधन करने के लिए है जो दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के अभिदाय की बाबत कटौती के संबंध में है ।

धारा 80गगच में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन 1 अप्रैल, 2011 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के अभिदाय के रूप में संदत्त या जमा की गई ऐसी रकम की उस सीमा तक कटौती अनुज्ञात है जहां तक ऐसी रकम बीस हजार रुपए से अधिक की नहीं है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि 1 अप्रैल, 2012 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान संदत्त या जमा की गई रकम पर उसी समान कटौती के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 10** आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास, आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (iv) के विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम को (क) जो विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के लिए भारत के किसी भाग में गठित किया गया है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करता है ; (ख) वह 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण आरंभ करता है ; या (ग) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय पारेषण या वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का सारवान् नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे समय सीमा को 31 मार्च, 2011 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2012 किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 11** आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है, जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती के संबंध में है ।

उक्त धारा की उपधारा (9) में यह उपबंध है कि किसी उपक्रम के लिए कटौती की रकम आरंभिक निर्धारण वर्ष सहित सात क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए लाभों की शत प्रतिशत रकम होगी, यदि ऐसा उपक्रम उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों को पूरा करता है ।

उक्त उपधारा का खंड (ii) यह अपेक्षा करता है कि ऐसा उपक्रम भारत के किसी भाग में अवस्थित है और उसने 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है या आरंभ करता है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके जिसमें यह उपबंध हो कि उक्त खंड (ii) के

उपबंध भारत सरकार द्वारा संकल्प सं. ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओ.-वीएल, तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य रीति में घोषित नई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति नीति के अधीन 31 मार्च, 2011 के पश्चात् दी गई किसी संविदा के अधीन अनुज्ञप्त समूहों को लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 12** आय-कर अधिनियम की धारा 92ग का संशोधन करने के लिए है, जो असन्निकट कीमत की संगणना से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां सर्वाधिक उपयुक्त रीति से एक से अधिक कीमत का अवधारण किया जाता है, असन्निकट कीमत को ऐसी कीमतों का अंकगणितीय माध्य माना जाएगा । इसके अतिरिक्त उक्त उपधारा (2) का दूसरा परंतुक यह उपबंधित करता है कि यदि इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत और उस कीमत के बीच का अंतर, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, बाद वाली कीमत के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां वह कीमत जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, असन्निकट कीमत समझी जाएगी ।

उक्त उपधारा (2) के दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुज्ञेय अंतर, ऐसा प्रतिशत होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 13** आय-कर अधिनियम की धारा 92गक का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां निर्धारिती ने किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है और निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से धारा 92ग के अधीन उक्त अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना को अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों की बाबत ऐसी असन्निकट कीमत का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए निर्धारिती पर, ऐसे संव्यवहारों की या असन्निकट कीमत की संगणना के समर्थन में साक्ष्य पेश करने की उससे अपेक्षा करते हुए, एक सूचना की तामील करेगा ।

एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को ऐसे किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार को, जो उसे निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण करते समय उसके समक्ष कार्यवाही के अनुक्रम के दौरान बाद में उसकी जानकारी में आता है, हिसाब में लेने में समर्थ बनाया जा सके, मानो ऐसा संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है और आय-कर अधिनियम के अध्याय 10 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (7) यह उपबंध करती है कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को असन्निकट कीमत का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां होंगी, जो धारा 131 की उपधारा (1) और धारा 133 के खंड (6) के अधीन यथा उपबंधित हैं ।

उक्त उपधारा (7) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को अधिनियम की धारा 133क के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी को प्रदत्त सर्वेक्षण की शक्ति का प्रयोग करने में समर्थ बनाया जा सके ।

ये संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 14** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 94क अंतःस्थापित करने के लिए है जो किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों के साथ संव्यवहार के संबंध में विशेष उपायों से संबंधित है ।

भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र को, भारत के साथ उसके द्वारा सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान के अभाव को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए केंद्रीय सरकार को समर्थ बनाने का प्रस्ताव है ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि कोई निर्धारिती ऐसा संव्यवहार करता है जहां संव्यवहार के पक्षकारों में से एक किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति है वहां संव्यवहार के सभी पक्षकार धारा 92क के अर्थ के भीतर सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे और वह संव्यवहार धारा 92ख के अर्थ के भीतर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार समझा जाएगा और तदनुसार धारा 92, धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग [उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के सिवाय], धारा 92गक, धारा 92गख, धारा 92घ, धारा 92ङ और धारा 92च के उपबंध ऐसे संव्यवहार को लागू होंगे ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि आय-कर अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी वित्तीय संस्था को किए गए किसी संदाय के संबंध में कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती उक्त वित्तीय संस्था से सुसंगत सूचना प्राप्त करने के लिए उसकी ओर से कार्यरत बोर्ड या अन्य आय-कर प्राधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए विहित प्ररूप में प्राधिकार नहीं देता है और किसी अधिसूचित राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार से उद्भूत होने वाले किसी अन्य व्यय या मोक (जिसके अंतर्गत अवक्षयण भी है) के संबंध में कोई कटौती अधिनियम के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती ऐसे अन्य दस्तावेजों को नहीं रखता है और ऐसी सूचना नहीं देता है, जो विहित की जाए ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त होती है तो ऐसे व्यक्ति के हाथों में या फायदाग्राही स्वामी के हाथों में ऐसे धन के स्रोत को समाधानप्रद रूप में स्पष्ट करने का भार निर्धारिती पर है और ऐसा करने में उसके असफल रहने की दशा में उस रकम को, अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निर्धारिती की आय समझा जाएगा ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति को किया गया कोई संदाय उसमें विनिर्दिष्ट कर कटौती की उच्चतम दरों के लिए दायी होगा ।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति", "स्थायी स्थापन" और "संव्यवहार" पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 15** आय-कर अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने के लिए है जो विदेशी कंपनियों की दशा में, लाभांश, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन उन दरों का उल्लेख है जिन पर उस दशा में आय-कर संदेय होगा, जहां किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में लाभांश (धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन

विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की, विदेशी करेंसी में क्रय किए गए यूनिटों की बाबत प्राप्त आय, सम्मिलित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उन दरों में, जिन पर आय-कर उस दशा में संदेय होगा, जहां किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज के रूप में कोई आय या सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज, जो धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज न हो, सम्मिलित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में एक नया उपखंड (iiक) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उन दरों में, जिन पर आय-कर उस दशा में संदेय होगा जहां किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज के रूप में कोई आय सम्मिलित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) की मद (आ) के पश्चात् एक नई मद (आअ) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना ऋण निधि से किसी अनिवासी द्वारा प्राप्त किसी ब्याज की आय पर पांच प्रतिशत की दर पर कर संदेय होगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 16** आय-कर अधिनियम में नई धारा 115खखघ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो विदेशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर से संबंधित है ।

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश प्राप्तिकर्ता के हाथों में उस पर लागू कर की सीमांत दर से कराधेय है। अतः, ऐसी कंपनियों की दशा में, जो विदेशी लाभांश प्राप्त करती हैं, ऐसा लाभांश तीस प्रतिशत की दर **धन** लागू अधिभार और उपकर से कराधेय है ।

पूर्वोक्त नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी निर्धारिती की, जो कोई भारतीय कंपनी है, 1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, कुल आय में किसी समनुषंगी विदेशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशों के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर ऐसे लाभांशों के रूप में आय पर पन्द्रह प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम का और आय-कर की उस रकम का, जिसके लिए निर्धारिती तब प्रभार्य हुआ होता, यदि उसकी कुल आय में से लाभांशों के रूप में पूर्वोक्त आय घटा दी जाती, योग होगा ।

पूर्वोक्त नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती को लाभांशों के रूप में उसकी आय की संगणना करने में किसी व्यय या मोक की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

पूर्वोक्त नई धारा की उपधारा (3) "लाभांश" और "समनुषंगी विदेशी कंपनी" पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार,निर्धारण वर्ष 2012-2013 के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 17** आय-कर अधिनियम की धारा 115जख का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी कंपनी की दशा में, यदि 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन यथा संगणित कुल आय पर संदेय कर उसके बही लाभ के अठारह प्रतिशत से कम है, तो ऐसे बही लाभ को निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर ऐसे बही लाभ का अठारह प्रतिशत होगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन यथा संगणित कुल आय पर संदेय आय-कर उसके बही लाभ के साढ़े अठारह प्रतिशत से कम है, तो ऐसे बही लाभ को निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर ऐसे बही लाभ का साढ़े अठारह प्रतिशत होगा ।

आय-कर अधिनियम की धारा 115जख की उपधारा (6) उस धारा में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित उसकी धारा 27 द्वारा एक उपांतरण के रूप में अंतःस्थापित की गई थी ।

पूर्वोक्त उपधारा (6) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि धारा 115जख के उपबंध किसी उद्यमकर्ता या विकासकर्ता द्वारा, यथास्थिति, किसी यूनिट या विशेष आर्थिक जोन में किए गए किसी कारबार या प्रदान की गई सेवाओं से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रोदभूत या उद्‌भूत होने वाली आय को लागू नहीं होंगे ।

उक्त उपधारा (6) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस उपधारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के संबंध प्रभावी नहीं रहेंगे ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 18** आय-कर अधिनियम में एक नया अध्याय 12खक [जिसमें नई धारा 115जग, 115जघ, 115जङ और 115जच है] अंतःस्थापित करने के लिए है जो कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों के संबंध में विशेष उपबंधों से संबंधित है ।

नई अंतःस्थापित धारा 115जग के उपबंधों के अधीन जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर, ऐसे पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां ऐसी समायोजित कुल आय को ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की कुल आय समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी ।

पूर्वोक्त उपबंध के प्रयोजन के लिए, समायोजित कुल आय, नए अंतःस्थापित अध्याय 12खक को प्रभावी करने से पूर्व कुल आय, "ग-कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौतियां और धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती, को बढ़ाकर आई कुल आय होगी ।

प्रस्तावित नई धारा 115जघ यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 115जग के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा संदत्त कर का प्रत्यय,संदेय नियमित आय-कर पर संदत्त अनुकल्पी न्यूनतम कर का आधिक्य होगा । इसे उस निर्धारण वर्ष से जिसमें कर प्रत्यय अनुज्ञेय हो जाता है,ठीक उत्तरवर्ती दसवें निर्धारण वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसमें नियमित आय-कर अनुकल्पी न्यूनतम कर से अधिक हो जाता है, अनुकल्पी न्यूनतम कर पर नियमित आय-कर के आधिक्य की सीमा तक मुजरा अनुज्ञात किया जाएगा ।

प्रस्तावित नई धारा 115जङ यह उपबंध करने के लिए है कि नए अंतःस्थापित अध्याय 12खक में यथा उपबंधित के सिवाय, आय-कर अधिनियम के सभी अन्य उपबंध किसी सीमित दायित्व भागीदारी को लागू होंगे ।

प्रस्तावित नई धारा 115जच, आय-कर अधिनियम के नए अंतःस्थापित अध्याय 12खक के प्रयोजनों के लिए, "लेखाकार ", "अनुकल्पी न्यूनतम कर","सीमित दायित्व भागीदारी" और "नियमित आय-कर" पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 19** आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है, जो देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर के संबंध में है।

उपधारा (6) पूर्वोक्त धारा में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित उसकी धारा 27 द्वारा एक उपांतरण के रूप में अंतःस्थापित की गई थी ।

पूर्वोक्त उपधारा के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि धारा 115ण में किसी बात के होते हुए भी, या तो विकासकर्ता की या उद्यमकर्ता या ऐसे लाभांश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हाथों में वर्तमान आय में से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा) ऐसे विकासकर्ता या उद्यमकर्ता द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास या विकास तथा प्रचालन या विकास, प्रचालन और अनुरक्षण में लगे किसी उपक्रम या उद्यम की कुल आय की बाबत वितरित लाभ पर कोई कर प्रभार्य नहीं होगा ।

उक्त उपधारा (6) में एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा के उपबंध 1 जून, 2011 से प्रभावी नहीं रहेंगे । तदनुसार वितरित लाभों पर कर 1 जून, 2011 को या उसके पश्चात् पूर्वोक्त उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभांशों के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर इस धारा के अधीन प्रभार्य होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 20** आय-कर अधिनियम की धारा 115द का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन,किसी विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की कोई रकम कर से प्रभार्य होगी और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि ऐसी वितरित आय पर किसी द्रव्य बाजार, पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा वितरित आय पर पच्चीस प्रतिशत ; किसी व्यक्ति को, जो व्यष्टि या अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, द्रव्य बाजार, पारस्परिक निधि या तरल निधि से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित आय पर साढ़े बारह प्रतिशत ; और किसी अन्य व्यक्ति को, द्रव्य बाजार, पारस्परिक निधि या तरल निधि से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित आय पर बीस प्रतिशत, की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटंब को द्रव्य बाजार, पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा वितरित किसी आय पर पच्चीस प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त कर उद्ग्रहणीय होगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (i) के पश्चात् एक नया खंड (iक) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी द्रव्य बाजार, पारस्परिक निधि या किसी तरल निधि द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को वितरित कोई आय, तीस प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आय-कर के लिए दायी होगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (iii) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को, द्रव्य बाजार, पारस्परिक निधि या किसी तरल निधि से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित किसी आय पर अतिरिक्त आय-कर की दर को बीस प्रतिशत से बढ़ाकर तीस प्रतिशत किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 21** आय-कर अधिनियम की धारा 131 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रकटीकरण, साक्ष्य पेश करने आदि के बारे में शक्ति से संबंधित है ।

धारा 131 के विद्यमान उपबंधों के अधीन कतिपय आय-कर प्राधिकारियों को प्रकटीकरण और निरीक्षण, किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत किसी बैंककारी कंपनी का कोई अधिकारी भी है, हाजिर कराने तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करने, लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने और कमीशन निकालने के संबंध में वही शक्ति प्रदत्त की गई है, जो किसी सिविल न्यायालय को किसी वाद का विचारण करते समय उपलब्ध होती है ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की बाबत कोई जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए इस निमित्त बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित आय-कर सहायक आयुक्त से अनिम्न पंक्ति के किसी आय-कर प्राधिकारी के लिए यह सक्षम होगा कि वह उपधारा (1) में उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का इस बात के होते हुए भी, प्रयोग करे कि किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की बाबत कोई कार्यवाहियां उसके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं हैं।

उपधारा (3) को संशोधित करने का और प्रस्ताव है जिससे कि अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा यथाअधिसूचित पूर्वोक्त प्राधिकारी को किसी कार्यवाही में अपने समक्ष पेश की गई किन्हीं लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को परिबद्ध और प्रतिधारित करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 22** आय-कर अधिनियम की धारा 133 का संशोधन करने के लिए है जो जानकारी मांगने की शक्ति से संबंधित है ।

धारा 133 के विद्यमान उपबंधों के अधीन उस धारा में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारियों को ऐसी जानकारी मांगने के लिए सशक्त किया गया है जो अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत है ।

पूर्वोक्त धारा के दूसरे परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के प्रयोजनों के लिए, धारा 131 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित कोई आय-कर प्राधिकारी, धारा 133 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का इस बात के होते हुए भी, प्रयोग कर सकेगा कि उसके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 23** आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के लिए निश्चित तारीख, किसी कंपनी या ऐसे किसी व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) की दशा में, जिसके लेखाओं की आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा कराई जानी अपेक्षित है ; या ऐसी किसी फर्म में कार्यरत भागीदार

जिसके लेखाओं की आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा कराई जानी अपेक्षित है, आय की विवरणी फाइल करने के लिए निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर होगी ।

आय-कर अधिनियम की धारा 92ङ में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं ।

उक्त स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) के उपखंड (i) का संशोधन करने का और खंड (क) के पश्चात् एक नया खंड (कक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, जो कंपनी है, जिससे धारा 92ङ में निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है, निश्चित तारीख निर्धारण वर्ष की 30 नवंबर होगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की विवरणी देगा।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों को ऐसी शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, आय की विवरणी देने की अपेक्षा से छूट देने के लिए सशक्त किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

धारा 139 की उपधारा (4ग) में के विद्यमान उपबंधों के अधीन, उसमें निर्दिष्ट प्रत्येक अस्तित्व, यदि ऐसे अस्तित्व की बाबत कुल आय (धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना) उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, पूर्ववर्ष की ऐसी आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें यह अपेक्षा करने के लिए खंड (छ) और खंड (ज) अंतःस्थापित किया जा सके कि क्रमशः धारा 10 के खंड (46) में निर्दिष्ट निकाय या प्राधिकारी या बोर्ड या न्यास या आयोग और धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट कोई अवसंरचना ऋण निधि भी आय की एक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 24** आय-कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण के संबंध में है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित आय-कर अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं; तथापि, ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2011 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1ख) का, उक्त समयसीमा को 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाने के लिए, संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल , 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 25** आय-कर अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारणों और पुनर्निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय की परिसीमा से संबंधित है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 के विद्यमान उपबंधों के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अवधियों के निर्धारणों और पुनर्निर्धारणों को पूरा करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (2क) में अधिकथित परिसीमा की अवधि की गणना करते समय अपवर्जित किया जाएगा ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 में एक नया खंड (viii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या छह मास की किसी अवधि, इनमें से जो भी कम हो, को भी अपवर्जित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 26** आय-कर अधिनियम की धारा 153ख का संशोधन करने के लिए है जो धारा 153क के अधीन निर्धारण को पूरा करने की समयसीमा के संबंध में है ।

धारा 153ख के स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अवधियों को धारा 153क के अधीन निर्धारण को पूरा करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) में अधिकथित परिसीमा काल की संगणना करते समय अपवर्जित किया जाएगा ।

उक्त धारा 153ख के स्पष्टीकरण में नया खंड (viii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या छह मास की किसी अवधि, इनमें से जो भी कम हो, को भी अपवर्जित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 27** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194ठख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो किसी अवसंरचना ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी अनिवासी को, जो कोई कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को, धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट अवसंरचना ऋण निधि द्वारा ब्याज के रूप में कोई आय संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी आय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या किसी चैक या ड्राफ्ट को जारी करके या किसी अन्य पद्धति द्वारा संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

यह संशोधन, 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 28** आय-कर अधिनियम की धारा 245ग का संशोधन करने के लिए है, जो मामलों के समझौते के लिए आवेदन से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि समझौता आयोग के समक्ष कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि धारा 153क के अधीन या धारा 153ग के अधीन कार्यवाहियां आवेदक के विरुद्ध आरंभ न कर दी गई हों और आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम पचास लाख रुपए से

अधिक है न हो और अन्य मामलों में, यदि आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम दस लाख रुपए से अधिक न हो ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के परंतुक में एक नया खंड (ik) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । इसमें यह उपबंधित है कि कोई आवेदन तभी किया जाएगा जब ऐसे किसी मामले में, जहां आवेदक खंड (i) में निर्दिष्ट उस व्यक्ति का नातेदार है, जिसने आवेदन फाइल किया है (जिसे "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और ऐसे आवेदक की दशा में, जो धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति है, धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) में या धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी के लिए निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं, आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम दस लाख रुपए से अधिक है ।

यह और प्रस्ताव है कि नए खंड (ik) के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में आवेदक" और "सारवान् हित" पदों को परिभाषित करने के लिए उक्त परंतुक के पश्चात् एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 29** आय-कर अधिनियम की धारा 245घ का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 245ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा 245घ की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि समझौता आयोग, उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों के अंतर्गत आने वाले मामलों पर आदेश पारित कर सकेगा ।

एक नई उपधारा (6ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग, अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, आदेश की तारीख से छह मास के भीतर किसी समय, उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगा । इसमें यह और उपबंधित है कि ऐसा कोई संशोधन, जिसका आवेदक के दायित्व को उपांतरित करने का प्रभाव है, इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक समझौता आयोग ने आवेदक और आयुक्त को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो और आवेदक और आयुक्त को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान न किया हो ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 30** आय-कर अधिनियम की धारा 282ख का लोप करने के संबंध में है जो दस्तावेज पहचान संख्यांक के आबंटन के संबंध में है ।

उक्त धारा 282ख में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन प्रत्येक आय-कर प्राधिकारी किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को, 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात् उसके द्वारा जारी की गई प्रत्येक सूचना, आदेश, पत्र या किसी पत्र व्यवहार के संबंध में कंप्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्यांक आबंटित करेगा और उसमें उस संख्यांक को कोट करेगा ।

पूर्वोक्त धारा का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल , 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 31** आय-कर अधिनियम में नई धारा 285 [उक्त धारा के स्थान पर, जिसका वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा लोप किया गया था] अंतःस्थापित करने के लिए है, जो किसी अनिवासी, जिसका एक संपर्क कार्यालय है, द्वारा विवरण के प्रस्तुत किए जाने से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करती है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अनिवासी है जिसका विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भारत में स्थापित संपर्क कार्यालय है, किसी वित्तीय वर्ष में अपने क्रियाकलापों की बाबत उस वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाएं, एक विवरण तैयार करेगा और उसे अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 32** आय-कर अधिनियम की धारा 296 का संशोधन करने के लिए है, जो नियमों और कुछ अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखे जाने से संबंधित है ।

जैसा प्रस्तावित है, विधेयक का खंड 23 आय-कर अधिनियम की धारा 139 में उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे कि केंद्रीय सरकार को, अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों को, ऐसी शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट देने के लिए सशक्त किया जा सके ।

आय-कर अधिनियम की धारा 296 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 139 की उपधारा (1ग) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के समक्ष रखी जाएगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 33** आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क का संशोधन करने के लिए है जो मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों के संबंध में है ।

चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 3 में यह उपबंध है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी ऐसी भविष्य निधि को मान्यता दे सकेगा जो उसकी राय में उक्त अनुसूची के भाग क के नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों की और ऐसी शर्तों को पूरा करती है जो बोर्ड नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे ।

उक्त नियम 3 के उपनियम (1) के पहले परंतुक में यह उपबंध है कि ऐसे मामले में जहां किसी भविष्य निधि को 31 मार्च, 2006 को या उसके पूर्व मान्यता प्रदान की गई है वहां वह उस दशा में वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसी निधि, 31 दिसंबर, 2010 को या उससे पूर्व उक्त नियम 4 के खंड (ङक) में उपवर्णित शर्तें और ऐसी अन्य शर्तें, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं पूरा नहीं करती है ।

उपनियम (1) के उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त समय सीमा को 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाया जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 जनवरी, 2011 से प्रभावी होगा ।

धन-कर

विधेयक का **खंड 34** धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 22घ का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 22ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा 22घ की उपधारा (4) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि समझौता आयोग द्वारा प्राप्त आवेदनों के अंतर्गत आने वाले मामलों पर उसके द्वारा आदेश पारित किया जा सकेगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (6ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग, अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किसी समय, उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगा ।

इसमें यह और उपबंधित है कि ऐसा कोई संशोधन, जिसका आवेदक के दायित्व को उपांतरित करने का प्रभाव है, इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक समझौता आयोग ने आवेदक और आयुक्त को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो और आवेदक और आयुक्त को सुने जाने का अवसर प्रदान न कर दिया हो ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

सीमाशुल्क

विधेयक का **खंड 35** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है । उक्त धारा का खंड (2) "निर्धारण" पद को परिभाषित करता है और उक्त परिभाषा को पुनः परिभाषित करने का प्रस्ताव है जिससे कि उसमें "स्वतः निर्धारण" को भी समाविष्ट किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 36** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसके खंड (ङ) में उपायुक्त के प्रति निर्देश का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 37** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर एक नई धारा रखने के लिए है, जो "स्वतः निर्धारण" की प्रस्तावित स्कीम से संगत उपबंध करने के लिए शुल्क के निर्धारण से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 38** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 18 का संशोधन करने के लिए है, जो शुल्क के अनंतिम निर्धारण से संबंधित है । यदि कोई आयातकर्ता या निर्यातकर्ता स्वतः निर्धारण करने में असमर्थ रहता है, तो वह सीमाशुल्क अधिकारी से अनंतिम निर्धारण की प्रक्रिया का अनुसरण करके माल का निर्धारण करने के लिए अनुरोध कर सकेगा ।

विधेयक का **खंड 39** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 19 का संशोधन करने के लिए है, जो, जहां माल में ऐसी वस्तुएं हैं, जिन पर शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें लागू होती हैं वहां शुल्क का अवधारण करने से संबंधित है, जिससे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 द्वारा उपबंधित स्वतः निर्धारण की प्रस्तावित स्कीम के साथ उसे श्रेणीबद्ध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 40** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो शुल्क अथवा ब्याज के प्रतिदाय के लिए दावे से संबंधित है, जिससे विभिन्न वर्गों के आयातों या निर्यातों के लिए छह मास या एक वर्ष के स्थान पर, एक वर्ष की एक समान परिसीमा अवधि का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 41** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन करने के लिए है, जो उद्‌गृहीत न किए गए या कम उद्‌गृहीत किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए शुल्कों की वसूली से संबंधित है, जिससे उपबंधों को और संगत और स्पष्ट बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 42** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक और धारा 28कख के स्थान पर, एक नई धारा 28कक रखने के लिए है, जो शुल्क के विलंबित संदाय पर ब्याज से संबंधित है, जिससे उपबंधों को सरल, अधिक संगत और स्पष्ट बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 43** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 का संशोधन करने के लिए है, जो आयात किए जाने पर माल की प्रविष्टि से संबंधित है, प्रविष्टि इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल करने का उपबंध और यह भी उपबंध किया जा सके कि जहां इलेक्ट्रानिक रूप से कोई प्रविष्टि पेश करना साध्य नहीं है वहां सीमाशुल्क आयुक्त किसी अन्य रीति में प्रविष्टि पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

विधेयक का **खंड 44** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्यात के लिए माल की प्रविष्टि से संबंधित है, जिससे प्रविष्टि इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल करने का उपबंध और यह भी उपबंध किया जा सके कि जहां इलैक्ट्रानिक रूप से कोई प्रविष्टि करना साध्य नहीं हो, वहां सीमाशुल्क आयुक्त किसी अन्य रीति में प्रविष्टि पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

विधेयक का **खंड 45** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसी परिस्थितियों या शर्तों का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके, जिनके अधीन सीमाशुल्क की वापसी की रकम निर्यातकर्ता द्वारा विक्रय आगमों की वसूली न किए जाने के बावजूद भी वसूल नहीं की जाएगी ।

विधेयक का **खंड 46** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110क का संशोधन करने के लिए है, जो न्यायनिर्णयन के लंबित रहने के दौरान अभिगृहीत माल, दस्तावेजों और वस्तुओं की अनंतिम निर्मुक्ति से संबंधित है, जिससे सीमाशुल्क आयुक्त के बजाय, जैसा वर्तमान में है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अभिगृहीत माल की निर्मुक्ति अनुज्ञात करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 47** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 124 का संशोधन करने के लिए है, जो माल, आदि के अधिहरण से पूर्व हेतुक दर्शित करने वाली सूचना के जारी किए जाने से संबंधित है, जिससे सीमाशुल्क उपायुक्त के बजाय, जैसा वर्तमान में है, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के सीमाशुल्क अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से सूचना जारी किए जाने के लिए उपबंध किया जा सके । यह संशोधन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विधियों के सुसंगत उपबंधों के साथ श्रेणीबद्ध किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 48** सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 131घ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अपील फाइल करने से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा यह उपबंध करने के लिए है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड ऐसी धनीय सीमा नियत करने के लिए, जो वह अध्याय 15 के उपबंधों के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश के फाइल किए जाने को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए ठीक समझे, सीमाशुल्क आयुक्त को समय-समय पर आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां सीमाशुल्क आयुक्त ने उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी विनिश्चय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया है, वहां वह ऐसे सीमाशुल्क आयुक्त को उन्हीं या समान विवाद्यकों या विधि के प्रश्नों वाले किसी अन्य मामले में कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने से निवारित नहीं करेगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया है, कोई भी व्यक्ति, जो अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश में पक्षकार है, यह प्रतिवाद नहीं करेगा कि सीमाशुल्क आयुक्त अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल न करके विवादित विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमत रहा है ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसी अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण या न्यायालय उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों या उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनके अधीन सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया था ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि 20 अक्तूबर, 2010 को या उसके पश्चात्, किंतु उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने की धनीय सीमाएं नियत करने संबंधी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रत्येक आदेश या अनुदेश या निदेश को उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 20 अक्तूबर, 2010 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 49** सीमाशुल्क अधिनियम में, एक नई धारा 142क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो अधिनियम के अधीन दायित्व का प्रथम प्रभार होने से संबंधित है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय शुल्क, शास्ति, ब्याज की कोई रकम या कोई अन्य राशि किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529क तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के सिवाय, यथास्थिति, निर्धारिती या व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी।

विधेयक का **खंड 50** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 150 का संशोधन करने के लिए है, जो माल के विक्रय की प्रक्रिया और विक्रय आगमों के उपयोजन से संबंधित है, जिससे उपधारा (2) में एक परंतुक अतःस्थापित किया जा सके जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि माल बिना निर्मुक्ति के पड़ा रहता है और बाद में नीलामी में विक्रय कर दिया जाता है और जहां आयातित माल के स्वामी को संदाय नहीं किया जा सकता, वहां अतिशेष विक्रय आगमों का केंद्रीय सरकार को संदाय किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 51** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 151क का संशोधन करने के लिए है, जो सीमाशुल्क अधिकारियों को अनुदेश देने से संबंधित है, जिससे अधिनियम के या किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध का कार्यान्वयन करने के लिए जहां तक माल के आयात या निर्यात के लिए किसी प्रतिषेध, निर्बधन या प्रक्रिया से संबंधित है, बोर्ड को आदेश, अनुदेश या निदेश जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 52** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 का, जो विनियम बनाने की साधारण शक्ति से संबंधित है, उपधारा (2) में एक नया खंड (घ) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने के लिए है, जिससे कि बोर्ड को आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के परिसर में संपरीक्षा, जिसके अंतर्गत निर्धारण भी है । संचालित करने की रीति को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 53** सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई कतिपय अधिसूचनाओं का संशोधन करने के लिए है जिससे कि निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के अधीन निर्यात बाध्यता को पूरी करने मद्दे निर्यातित माल पर पुरस्कार स्कीमों अर्थात् “सर्वड फ्राम इंडिया स्कीम”; “विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना (स्पेशल एग्रीकल्चर एंड विलेज प्रोडक्ट स्कीम); “फोक्स मार्केट स्कीम” और “फोक्स प्रोडक्ट स्कीम” के फायदों को भूतलक्षी रूप से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में अनुज्ञात किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 54** नेशनल कंज्यूमर को-ओपरेटिव फेडरेशन और मध्य प्रदेश स्टेट को-ओपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई और 15 जनवरी, 2003 के पश्चात्, निकाली गई आयात अनुज्ञप्ति के अधीन आयात किए गए ताजा लहसुन को ऐसे सीमाशुल्क से, जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मूल्यानुसार तीस प्रतिशत से अधिक है, अधिसूचना द्वारा भूतलक्षी रूप से 15 जनवरी, 2003 से छूट प्रदान करन के लिए है ।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 55** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है, जिससे बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के प्रति निर्देश को 1 मार्च, 2011 से विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रति निर्देश से प्रतिस्थापित किया जा सके क्योंकि पूर्ववर्ती अधिनियम को पश्चात्वर्ती अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया है ।

विधेयक का **खंड 56** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ककक का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को किसी ऐसी वस्तु पर, जहां ऐसी वस्तु का आयातकर्ता केंद्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उसने वस्तु के संबंध में अवधारित पाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक प्रतिपाटन शुल्क संदत्त कर दिया है, वहां सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को कम करने की शक्ति प्रदत्त की जा सके ।

विधेयक का **खंड 57** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड 57 के उपखंड (क) की मद (i) पहली अनुसूची का चौथी अनुसूची में उपबंधित रीति में संशोधन करने के लिए है जिससे शीर्ष 9804 के सामने के वर्णन को, डाक या वायुयान द्वारा आयातित सभी शुल्क्य वस्तुओं को, जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आशयित हों, सम्मिलित करने के लिए अध्याय 98 की टैरिफ मद 9804 10 00 और 9804 90 00 के सामने पैंतीस प्रतिशत की दर विहित करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके ।

उक्त खंड 57 के उपखंड (क) की मद (ii) पहली अनुसूची का पांचवीं अनुसूची में उपबंधित रीति में संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उक्त अनुसूची को 1 जनवरी, 2012 से नामपद्धति की सुव्यवस्थित प्रणाली से श्रेणीबद्ध करने के लिए उसमें सुव्यवस्थित वस्तु वर्णन और सुव्यवस्थित कोड प्रणाली संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय के विधिक पाठ में सीमाशुल्क सहयोग परिषद् (विश्व सीमाशुल्क संगठन) द्वारा अनुमोदित संशोधनों को सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त खंड 57 का उपखंड (ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे उसे नामपद्धति की सुव्यवस्थित प्रणाली से श्रेणीबद्ध किया जा सके ।

प्रस्तावित नई दूसरी अनुसूची में अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष और टैरिफ मद का निर्देश करने तथा—

(क) डि-आयल्ड चावल चोकर खली तथा पन्द्रह प्रतिशत की शुल्क दर से संबंधित नई प्रविष्टि अंतःस्थापित करने ; और

(ख) लौह अयस्क (संपिंडित और असंपिंडित) की बाबत तीस प्रतिशत की वर्धित टैरिफ दर के लिए उपबंध करने,का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 58,** सातवीं अनुसूची में यथाविर्निदिष्ट कास्टिक सोडा लाई पर 4 दिसंबर, 2009 से 3 मार्च, 2010 (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के लिए भूतलक्षी रूप से सुरक्षा शुल्क अधिरोपित करने वाली अधिसूचना को जारी करने के लिए है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अधिसूचना सं. 131/ 2009-सीमाशुल्क [सा.का.नि. 861(अ), तारीख 4 दिसंबर, 2009] द्वारा कास्टिक सोडा लाई के आयात पर अनंतिम सुरक्षा शुल्क अधिरोपित किया था। महानिदेशक (सुरक्षा), सा.का.नि. सं. 306(अ), तारीख 9 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष में इस निश्चय पर पहुंचे थे कि भारत में कास्टिक सोडा लाई के वर्धित आयात के कारण घरेलू उत्पादकों को और अधिक गंभीर क्षति की आशंका हुई है और भारत में कास्टिक सोडा लाई के आयातों पर सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश की है । उपखंड (1) 4 दिसंबर, 2009 से 3 मार्च, 2010 (दोनों दिन सहित) की अवधि के लिए, भूतलक्षी प्रभाव से, सातवीं अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, मूल्यानुसार पन्द्रह प्रतिशत की दर से अंतिम सुरक्षा शुल्क अधिरोपित करने का प्रस्ताव करता है ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

विधेयक का **खंड 59** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4क का संशोधन करने के लिए है, जिससे बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के प्रति निर्देश को विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रति निर्देश से

प्रतिस्थापित किया जा सके क्योंकि पूर्ववर्ती अधिनियम को पश्चात्वर्ती अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया है ।

विधेयक का **खंड 60** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो उद्गृहीत या संदत्त न किए गए या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए शुल्कों की वसूली से संबंधित है, जिससे उपबंधों को अधिक संगत और स्पष्ट बनाया जा सके और यदि ब्याज और शुल्क का सूचना जारी किए जाने से पूर्व संदाय कर दिया जाता है तो सूचना के अधित्यजन और शास्ति की रकम के उपशमन सहित, मामलों के ऐसे नए प्रवर्ग को, जिनके संबंध में पांच वर्ष की अवधि के भीतर सूचना जारी की जा सकती है, भी अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 61** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कक और धारा 11कख के स्थान पर एक नई धारा 11कक प्रतिस्थापित करने के लिए है जो शुल्क के विलंबित संदाय पर ब्याज से संबंधित है, जिससे उसे अधिक संगत और स्पष्ट बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 62** धारा 11कग को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि मामलों के नए प्रवर्ग के लिए साधारण शास्ति शुल्क का पचास प्रतिशत होगी और शास्ति के परिहार को धारा 11क में अंतःस्थापित नए प्रवर्ग के मामलों तक ही सीमित भी किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 63** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में एक नई धारा 11ङ अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी रकम की वसूली के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 529क तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, व्यतिक्रमी की संपत्ति पर प्रथम प्रभार का सृजन किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 64** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उक्त अधिनियम में धारा 3क के अंतःस्थापन की तारीख से धारा 3क के प्रति निर्देश को, इस अपवाद के साथ कि अपराध और शास्तियां भूतलक्षी रूप से लागू नहीं होंगी, अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 65** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में धारा 12च अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क संयुक्त आयुक्तों या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अपर आयुक्तों को या तो स्वयं तलाशी या अभिग्रहण संचालित करने या तलाशी और अभिग्रहण के लिए अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए सशक्त किया जा सके । तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उपबंध जहां तक हो सके पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 66** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में एक नई धारा 35द अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा अपील फाइल करने से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा यह उपबंध करने के लिए है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, समय-समय पर, अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल किए जाने का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों को ऐसी धनीय सीमाएं, जो वह ठीक समझे, नियत करने संबंधी आदेश या अनुदेश या निर्देश जारी कर सकेगा ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि जहां, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी विनिश्चय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया है, वहां वह ऐसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को उन्हीं या वैसे ही विवाद्यकों या विधि के प्रश्नों वाले किसी अन्य मामले में कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने से निवारित नहीं करेगा ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किए गए हैं, कोई भी व्यक्ति जो अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश में पक्षकार है, यह प्रतिवाद नहीं करेगा कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल न करके विवादित विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमत रहा है ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसी अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण या न्यायालय उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों को और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनके अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया था ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि 20 अक्तूबर, 2010 को या उसके पश्चात्, किंतु उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने की धनीय सीमाएं नियत करने संबंधी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रत्येक आदेश या अनुदेश या निदेश को उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 20 अक्तूबर, 2010 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 67** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) का उसमें कतिपय शब्दों को अंतःस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है जिससे उसके उपबंधों को उक्त अधिनियम की धारा 5ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रति लागू किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 68** केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 का आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भूतलक्षी रूप से 18 अप्रैल, 2006 से,संशोधन करने के लिए है, जिससे भारत के बाहर से प्राप्त सेवाओं पर संदत्त सेवा कर के केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय से संबंधित उपबंधों को सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 69** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 679 (अ), तारीख 25 अगस्त, 2003, सं0 सा0का0नि0 90 (अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 और सं0 सा0का0नि0 419 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 का नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में अवस्थित इकाइयों में विनिधान करने के लिए और विनिधान अंकन समिति द्वारा अंकन करने के लिए विनिर्दिष्ट समय को भूतलक्षी रूप से बढ़ाया जा सके ।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 70** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड 69 के उपखंड (क) की मद (i) पहली अनुसूची का दसवीं अनुसूची में उपबंधित रीति में संशोधन करने के लिए है, जिससे,—

(i) अध्याय 15 के टिप्पण 5 का संशोधन किया जा सके, जिससे कि उसमें शीर्ष 1501, 1502, 1503, 1504 और 1505 तथा टैरिफ मद 1516 10 00 अंतःस्थापित की जा सके ;

(ii) अध्याय 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 30, 32, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 56, 58, 69, 70, 71, 84, 88, 89, 90, 93, 94 और 96 के अंतर्गत आने वाले कतिपय माल की बाबत टैरिफ दर बढ़ाई जा सके ;

(iii) अध्याय 22 में एक नया टिप्पण 7 अंतःस्थापित किया जा सके जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में आधानों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना या स्थूल पैकों से खुदरा पैकों में पुनः पैक करना या उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणन योग्य बनाने के लिए किसी अन्य उपचार को अंगीकृत करना "विनिर्माण" की कोटि में आएगा ।

(iv) अध्याय 26 में एक नया टिप्पण 4 अंतःस्थापित किया जा सके जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अयस्कों को सान्द्रों में संपरिवर्तित करने की प्रक्रिया विनिर्माण की कोटि में आएगा;

(v) टैरिफ मद 5307 10 10, 5307 10 90 और 5307 20 00 के सामने 10% की टैरिफ दर विहित की जा सके ;

(vi) अध्याय 63 में दो नए टिप्पण 4 और 5 अंतःस्थापित किए जा सकें जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उत्पाद पर ब्रांड नाम लगाना, लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना या स्थूल पैकों से खुदरा पैकों मे पुनः पैक करना या उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणन योग्य बनाने के लिए किसी अन्य उपचार को अंगीकृत करना "विनिर्माण" की कोटि में आएगा और "ब्रांड नाम " पद को परिभाषित किया जा सके ;

(vii) अध्याय 71 में यह उपबंध करने के लिए एक नया टिप्पण 14 अंतःस्थापित किया जा सके कि डोर बार के परिष्करण की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी ;

(viii) टैरिफ मद 7106 10 00, 7106 91 00 और 7106 92 90 के सामने "10%" की टैरिफ दर विनिर्दिष्ट की जा सके ।

उक्त खंड 69 के उपखंड (क) की मद (ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उक्त अनुसूची को 1 जनवरी, 2012 से ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में नामपद्धति की सुव्यवस्थित प्रणाली से संगत बनाने के लिए सुव्यवस्थित वस्तु वर्णन और सुव्यवस्थित कोड प्रणाली संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय के विधिक पाठ में उत्पाद-शुल्क सहयोग परिषद् (विश्व सीमाशुल्क संगठन) द्वारा अनुमोदित संशोधनों को सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त खंड 69 का उपखंड (ख) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे ऐसे विनिर्दिष्ट माल को, जो उक्त अधिनियम की धारा 4क के अधीन उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए अधिसूचित किए गए हैं, उन तारीखों से, जिनको वे बारहवीं अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट इस प्रकार अधिसूचित किए गए थे, भूतलक्षी प्रभाव से सम्मिलित किया जा सके ।

सेवा कर

विधेयक का **खंड 71** वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का, जो सेवा कर से संबंधित है, निम्नलिखित रीति में संशोधन करने के लिए है :—

उपखंड (क) धारा 65 का संशोधन करने के लिए है जिससे,—

(क) 'नैदानिक स्थापन' पद को परिभाषित किया जा सके, 'प्राधिकृत सर्विस स्टेशन' की परिभाषा का लोप किया जा सके और 'क्लब या संगम', वाणिज्यिक प्रशिक्षण और कोचिंग केन्द्र और 'कारबार या वाणिज्य की सहायक सेवाओं' की परिभाषाओं को संशोधित किया जा सके ;

(ख) निम्नलिखित कराधेय सेवाओं की परिधि विनिर्दिष्ट या विस्तारित की जा सके —

(i) मोटर यान की मरम्मत आदि के संबंध में प्रदान की गई सेवा ;

(ii) बीमा सेवा ;

(iii) क्लबों या संगमों द्वारा प्रदान की गई सेवा ;

(iv) (क) किसी कारबार इकाई द्वारा विधि की किसी शाखा में सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में व्यष्टियों को प्रदान की गई सेवाएं;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा किसी न्यायिक या न्यायिककल्प प्राधिकरण के समक्ष किसी कारबार इकाई को प्रदान की गई प्रतिनिधित्व संबंधी सेवा;

(ग) किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी कारबार इकाई को प्रदान की गई माध्यस्थम् सेवा;

(v) नैदानिक स्थापन और ऐसे स्थापन के डाक्टरों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;

(vi) वातानुकूलित रेस्टोरेंटों, जिनके पास एल्कोहालिक पेय परोसने की अनुज्ञप्ति भी है, द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;

(vii) होटलों और उसी प्रकार के स्थापनों द्वारा अल्पकालिक आवास सुविधा प्रदान करने संबंधी सेवा;

उपखंड (ख) उक्त अधिनियम की धारा 66 का अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सेवाओं को कराधेय सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए, संशोधन करने के लिए है, अर्थात् :—

(क) किसी व्यष्टि को किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष हाजिर होने के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को छोड़कर, प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं;

(ख) किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;

(ग) किसी वातानुकूलित रेस्टोरेंट द्वारा खाद्य या पेयों को परोसने के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं;

(घ) तीन मास से कम अवधि के लिए प्रदान की गई वास सुविधा के संबंध में होटल, द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;

उपखंड (ग) विवरणियों को फाइल न किए जाने के लिए अधिकतम विलंब फीस को दो हजार रुपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 70 का संशोधन करने के लिए है;

उपखंड (घ) धारा 73 का, उसकी उपधारा (1क) और उपधारा (2) के उपबंधों का लोप करने तथा उसमें नई उपधारा (4क) शास्ति के शमन का उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने की दृष्टि से, संशोधन करने के लिए है;

उपखंड (ङ) ऐसे सेवा प्रदाताओं के कतिपय विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए ब्याज की रियायती दर का उपबंध करने हेतु धारा 73ख का, उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है;

उपखंड (च) ऐसे सेवा प्रदाताओं के, जिनके सेवा कर संदाय विलंबित हैं, कतिपय प्रवर्ग के लिए ब्याज की रियायती दर हेतु उपबंध करने की दृष्टि से धारा 75 का संशोधन करने के लिए है;

उपखंड (छ) सेवा कर का संदाय करने में असफलता के लिए अधिकतम शास्ति को संदेय कर के सौ प्रतिशत से कम करके पचास प्रतिशत किए जाने की दृष्टि से धारा 76 का संशोधन करने के लिए है;

उपखंड (ज) कतिपय विनिर्दिष्ट अपराधों की दशाओं में, जिनके लिए अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, अधिकतम शास्ति को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपए करने की दृष्टि से धारा 77 का संशोधन करने के लिए है;

उपखंड (झ) गंभीर अपराधों की दशा में अपवंचित कर के बराबर शास्ति को व्यवस्थित करने की दृष्टि से कराधेय सेवाओं के मूल्य को छिपाने आदि के लिए शास्ति से संबंधित धारा 78 को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित धारा 78 यह उपबंध करती है कि कतिपय विनिर्दिष्ट अपराधों की दशा में शास्ति पचास प्रतिशत होगी और यदि ऐसी शास्ति का संदाय आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर सेवा कर और ब्याज के साथ किया जाता है तो शास्ति को और कम करके पच्चीस प्रतिशत तक किया जाएगा और सेवा प्रदाताओं के विनिर्दिष्ट वर्ग के लिए शोध्य कर, शास्ति और ब्याज का समाधान करने के लिए आदेश की तारीख से नब्बे दिन उपलब्ध होंगे;

उपखंड (ञ) गंभीर अपराधों के लिए शास्ति के अधित्यजन का लोप करने की दृष्टि से धारा 80 का संशोधन करने के लिए है, किंतु उसका उपबंध कतिपय विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए किया जाएगा;

उपखंड (ट) कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से धारा 82 का संशोधन करने के लिए है;

उपखंड (ठ) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के कतिपय उपबंधों को सेवा कर के संबंध में लागू करने की दृष्टि से धारा 83 का संशोधन करने के लिए है;

उपखंड (ड) नई धारा 88 और धारा 89 अंतःस्थापित करने के लिए है । धारा 88 अधिनियम के अधीन दायित्व का प्रथम प्रभार होने का उपबंध करने के लिए है और धारा 89 सेवा कर अपवंचन वाले कतिपय विनिर्दिष्ट अपराधों के अभियोजन को समर्थ बनाने के लिए अपराधों और शास्तियों का उपबंध करने के लिए है । अपराधियों का अभियोजन करने की शक्ति केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त के पास है और अभियोजन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा;

उपखंड (ढ) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93क का संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसी परिस्थितियों या शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके, जिनके अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर, जिनका निर्यातित माल का विनिर्माण करने के लिए या निर्यातित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निवेश सेवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है, ऐसी कराधेय सेवाओं पर संदत्त सेवा कर की बाबत दी गई रिबेट की रकम, निर्यातकर्ता द्वारा विक्रय आगमों को प्राप्त न किए जाने के बावजूद भी, वसूल नहीं की जाएगी ।

उपखंड (ण) उक्त अधिनियम की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार को वित्त विधेयक, 2011 के अधिनियमन की तारीख से एक वर्ष तक, इस अध्याय में प्रस्तावित विधान द्वारा सम्मिलित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के कार्यान्वयन, वर्गीकरण या निर्धारण की दशा में कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने हेतु सशक्त किया जा सके।

उपखंड (त) वित्त अधिनियम, 1994 में एक नई धारा 96ञ अंतःस्थापित करने के लिए है । धारा 66 के विद्यमान उपबंध के अधीन किसी क्लब या संगम द्वारा किसी अभिदाय के लिए या किसी अन्य रकम के लिए सेवाएं, सुविधाएं या फायदों का उपबंध करने के संबंध में अपने सदस्यों को प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली किसी सेवा के संबंध में सेवा कर प्रभार्य होगा ।

यह प्रस्ताव है कि उद्योग या वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए संगमों को भूतलक्षी रूप से 16 जून, 2005 से 31 मार्च, 2008 की अवधि के लिए ऐसे क्लबों या संगमों द्वारा संगृहीत सदस्यता फीस की बाबत सेवा कर के संदाय से छूट प्रदान की जाए। छूट की अवधि के संबंध में संगृहीत सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 72** भारत सरकार की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 492(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009 को भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी बनाने के लिए है जिससे कि किसी ऐसे टुअर प्रचालक को, जिसके पास यात्रियों के परिवहन के लिए, जिसके अंतर्गत पर्यटन, संचालित टुअर, चार्टर या भाड़ा सेवा नहीं है, अंतरराज्यीय या अंतःराज्यीय ठेका गाड़ी परमिट है, उक्त अधिसूचना के अधीन छूट प्रदान की जा सके ।

प्रकीर्ण

विधेयक का **खंड 73** औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की अनुसूची के स्पष्टीकरण 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) के प्रति निर्देश को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के प्रति निर्देश से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 74** केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि "घोषित माल" पर मूल्य वर्धित कर उद्गृहीत करने की राज्यों की शक्ति पर केंद्रीय विक्रय कर के माध्यम से अधिरोपित अधिकतम सीमा को चार प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 75** अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची का तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है, जिससे कि राज्य को निम्नलिखित का लोप करके उन मालों पर मूल्य वर्धित कर उद्गृहीत करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उक्त अधिनियम की परिधि से चीनी और टैक्सटाइल को बाहर किया जा सके :—

(क) शीर्ष 1701 और उसके सभी उपशीर्षों तथा टैरिफ मदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 1702 90 10 और संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) शीर्ष 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5801, 5802, 5803, 5804, 5806, 5810, 5901, 5902, 5903, 5907, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 तथा 6006 और सभी उपशीर्षों तथा उनकी टैरिफ मदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 76** विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त अनुसूची में किसी विशेष आर्थिक जोन या इकाई में प्राधिकृत प्रचालन करने के लिए विकासकर्ता या उद्यमी को या उसके संबंध में उसके लागू होने में आय-कर अधिनियम,1961 के उपबंधों के कतिपय उपांतरण अंतर्विष्ट हैं।

पैरा (क) के खंड (ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि आय-कर अधिनियम की धारा 115ण में विनिर्दिष्ट लाभांश को ऐसे निर्धारिती की, जो विकासकर्ता या उद्यमी है, कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

पूर्वोक्त खंड (ग) का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

पूर्वोक्त दूसरी अनुसूची के पैरा (ज) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि, यथास्थिति, किसी इकाई या विशेष आर्थिक जोन में किसी उद्यमी या विकासकर्ता द्वारा किए गए किसी कारबार या दी गई सेवाओं से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत होने वाली आय को आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

पूर्वोक्त पैरा (ज) का लोप करने का और प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त दूसरी अनुसूची के पैरा (झ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि आय-कर अधिनियम की धारा 115ण में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास या विकास और प्रचालन या विकास, प्रचालन और अनुरक्षण में लगे हुए किसी उपक्रम या उद्यम की कुल आय के संबंध में विकासकर्ता या उद्यमी या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23छ) के अंतर्गत न आने वाले ऐसे लाभांश को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हाथ में उसकी वर्तमान आय में से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् लाभांशों के रूप में (चाहे अंतरिम या अन्यथा) ऐसे विकासकर्ता या उद्यमी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए वितरित लाभों पर कोई कर प्रभार्य नहीं होगा ।

पूर्वोक्त पैरा (झ) का लोप करने का भी प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।